न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 61 सन 2022

अनवान :–

1. सरोजदेवी पत्नी सत्यनारायण जाति जाट निवासी मझाउ तन सिगनोर तहसील उदयपुर वाटी जिला झुझनू हाल रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीया

बनाम

1. जगदीश पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी रनतपुरा तहसील नोहर।
2. जयसिह पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी रनतपुरा तहसील नोहर।
3. बृजमोहन पुत्र धर्मपाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
4. भीमराज पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी रनतपुरा तहसील नोहर।
5. मुखराम पुत्र किशोरचन्द जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रनतपुरा तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री महेश चन्द्र जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 03/08/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 15 की कुल 0.2530हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया व प्रतिवादी संखय 1 ता 5 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है जिसमें वादीया का 1/8हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 2/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 का 101/1012 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 का 1/8 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 का 186/1265 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का 261/2530हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि छोटे टूकडो में होने के कारण काश्त योग्य नही है गावं के पास स्थित है जिसके चारो और आबासी बसी हुई है वादीया अपनी भूमि का अकृषि में परिर्वतन करवाना चाहती है जिसके लिये खाता पृथक से होना आवश्यक है किन्तु खाता मुश्तरका होने से वादीया अपनी भूमि को अकृषि आवासीय में परिर्वतन नही करवा पा रही है इसलिये वादीया अपने हक हिस्सा की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अपने कब्जा काश्त जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार करवा पाने की अधिकारी है।

वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कई मर्तबा कहा की वादीया के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आजकल आज कल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादीया के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवा पाने की अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ,2, 4 रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी संख्या 3 ,5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 ,5 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाते में दर्ज है वादीया अपने हक हिस्सा की भूमि जिसका

Scanned with CamScanner

विरुण वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है पर काबिज है वादीया के हक हिस्सा कब्जा काश्त की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड मे अलग से कायम किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का एकपक्षीय कार्यवाही /ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 15 की कुल 0.2530हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया व प्रतिवादी संखय 1 ता 5 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है जिसमें वादीया का 1/8हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 2/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 का 101/1012 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 का 1/8 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 का 186/1265 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का 261/2530हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

वाद भूमि छोटे टूकडो में होने के कारण काश्त योग्य नही है गावं के पास स्थित है जिसके चारो और आबासी बसी हुई है वादीया अपनी भूमि का अकृषि में परिर्वतन करवाना चाहती है जिसके लिये खाता पृथक से होना आवश्यक है किन्तु खाता मुश्तरका होने से वादीया अपनी भूमि को अकृषि आवासीय में परिर्वतन नही करवा पा रही है इसलिये वादीया अपने हक हिस्सा की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अपने कब्जा काश्त जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार करवा पाने की अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 3 ,5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है एव अन्य पक्षकार न्यायालय में उपस्थित नही आने के कारण स्वीकृति है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 15 की कुल 0.2530हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया व प्रतिवादी संखय 1 ता 5 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है जिसमें वादीया का 1/8हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 2/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 का 101/1012 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 का 1/8 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 का 186/1265 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का 261/2530हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीया का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाते में दर्ज है जो छोटे टुकडो में है गांव के पास स्थित है वादीया अपने हक हिस्सा की भूमि का अकृषि प्रयोजन सपरिर्वतन करवाना चाहती है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया की भूमि समुक्त खाता मे दर्ज होने के कारण सपरिर्वतन नही हो सकती है इसलिये वादीया अपने कब्जा काश्त की भूमि जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है का खाता व लगान अलग

Scanned with CamScanner

से राजस्व रिकार्ड में कायम करवाने की अधिकारी है वादीया के वाद के सम्बध में प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,4 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आये ना ही किसी प्रकार का ऐतराज पेश किया अर्थात मौन स्वीकृति मानी जा सकती है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ,5 ने वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए निवेदन किया की वादीया के हक हिस्सा की भूमि जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 15 के प0न0 317/379(40) के किला न0 16 की 0.2530हैक में वादीया का 1/8 हिस्सा भूमि का खाता व लगान तक्सीम कर किला न0 16/2 मीन नम्बर बनाया जाकर उत्तर में 36.6 फुट , पूर्व में 59.6 फुट दक्षिण में 36.6 फुट पश्चिम में 59.06फुट आगे उत्तर 37 फुट दक्षिण 37 फुट दक्षिण में 37 फुट व पूर्व में 33 फुट पश्चिम में 33 फुट कुल 3402.36 वर्गफुट अर्थात 0. 031625हैक भूमि का अलग से खाता कायम किया जिसके पश्चिम में बृजमोहन का 1/8 हिस्सा होगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08/08/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

1. सरोजदेवी पत्नी सत्यनारायण जाति जाट निवासी मझाउ तन सिगनोर तहसील उदयपुर वाटी जिला झुझनू हाल रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीया

बनाम

1. जगदीश पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी रनतपुरा तहसील नोहर।
2. जयसिह पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी रनतपुरा तहसील नोहर।
3. बृजमोहन पुत्र धर्मपाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
4. भीमराज पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी रनतपुरा तहसील नोहर।
5. मुखराम पुत्र किशोरचन्द जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रनतपुरा तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 61 सन 2022 निर्णय दिनांक– 08/08/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 15 के प0न0 317/379(40) के किला न0 16 की 0.2530हैक में वादीया का 1/8 हिस्सा भूमि का खाता व लगान तक्सीम कर किला न0 16/2 मीन नम्बर बनाया जाकर उत्तर में 36.6 फुट , पूर्व में 59.6 फुट दक्षिण में 36.6 फुट पश्चिम में 59.06फुट आगे उतर 37 फुट दक्षिण 37 फुट दक्षिण में 37 फुट व पूर्व में 33 फुट पश्चिम में 33 फुट कुल 3402.36 वर्गफुट अर्थात 0.031625हैक भूमि का अलग से खाता कायम किया जिसके पश्चिम में बृजमोहन का 1/8 हिस्सा होगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner